सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 276/2023
वाद पत्र अं0 धारा 88/53 आर.टी.ए.

1. संजय पुत्र लालचन्द जाति बैरागी निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
–वादी

बनाम्

1. लालचन्द पुत्र लेखराम जाति बैरागी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. प्रिया पुत्री लालचन्द जाति बैरागी निवासी नगराना तह संगरिया जिला हनुमानगढ
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ राज
–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री सुनील कुमार टांडी –वकील वादी
2. श्री प्रदीप जाखड –वकील प्रति 1 ता 2

निर्णय

दिनांक :– 07.07.2023

वादीगण संजय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् खाता तक्सीम व घोषणा के तहत दिनांक 13–06–2023 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का निवास स्थान का पंजीकृत पता सिविल प्रकिया के व्यापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो वाद शीर्षक मे अंकित है। कि वादी एव प्रतिवादी स 1 ता 2 आपस मे सयुक्त परिवार के सदस्य हे प्रतिवादी स 1 वादी के पिता है प्रति स 2 वादी की सगी बहीन है प्रतिवादी स 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक न 1 एल.एल.डब्लयू कि जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स 61/51 मे 1.454है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है कि वादी व प्रतिवादी स 1 ता 2 हिन्दु विधि से शासित परिवार है कि वाद पत्र की चरण स 2 मे वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी स 1 के मध्य घरू बटवारानामा आपसी सहमति व रिश्तेदारो ने करवा दिया है उक्त बटवारानामा के रोज से ही वादी व प्रतिवादीगण बंटवारानामा मे प्राप्त कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के काश्त करते आ रहे है। कब्जा काश्त बाबत् आपस मे कोई विवाद नही है प्रति स 2 का उक्त कृषि भूमि मे 1/3 हिस्सा विरास्तन बनता है प्रति स 2 उक्त कृषि भूमि मे जो भी विरास्तन हक हिस्सा बनता है उस को अपने पास नही रखना चाहती है इस लिए प्रति स 2 अपने विरास्तन हक व हिस्सा का मौखिक रूप से हक त्याग वादी के पक्ष मे कर दीया है उक्त कृषि भूमि मे इस प्रकार वादी को घरू बंटवारानामा मे निम्नलिषित कृषि भुमि प्राप्त हुई है।

वादी संजय के हक व हिस्सा मे कृषि भूमि
चक न 1 एल.एल.डब्ल्यू खाता स 61/51

प.न	मु.न	कि.न
164/210	4	8/2/0.127है ,9/1/0.127है 12/1/0.126है ,13/0.253है
164/211	8	20/1/0.103है ,20/5/0.012है गे.मु.खा 21/1/0.228है, 21/2/0.025है गे.मु.खा 22/0.165है
164/212	29	1/1/0.152है ,2/2/0.013है

कि वादी व प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भूमि मे जन्मजात विरास्तन हक व हिस्सा बनता है उक्त कृषि भूमि वादी व प्रति स 2 के दादा व प्रतिवादी स 1 के पिता लेखराम से विरासतन में प्राप्त हुई है जिसका वादी प्रतिवादीगण ने आपस मे घरू बंटवारानामा कर लिया है उक्त बंटवारनामा के अनुसार ही वादी वाद पत्र की चरण स 4 मे वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के काश्त करते आ रहे है परन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी स 1 के नाम होने के कारण वादीगण के हक व हकूक पर विपरीत प्रभाव पड रहा है तथा सदैव झगडा होने के अन्देशा बना रहता है इसी कारण वादी उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम की घोषणा करवाना चाहते है। कि वादीगण को उक्त कृषि भूमि अपने दादा लेखराम से विरासतन मे प्राप्त हूई थी जिसमे वादी का जन्मजात हक व हिस्सा बनता है तथा वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारानामा हो चुका है व उसी क मुताबिक वादी काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते आ रहे है उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी स 1 के नाम होने के कारण वादी को भारी परेशानीयो का सामना

ना पड रहा है इसलिए वादी अपना खाता तकसीम करवाकर अपने नाम की घोषणा करवाने हक मुस्त हक व दावेदार है। कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण मे उन्है वाद पत्र की चरण स4 मे र्णित तथ्य अनुसार कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता तकसीम करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे परन्तु कल उन्होने ऐसा करने स स्पष्ट इनकार कर दिया बस यही वाद कारण है कि वादी को उक्त कृषि भूमि का घरू बटवारनामा व कब्जा काश्त के मुताबिक वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता तकसीम नही किया तो वादी को कभी पुरा न होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतीपूर्ति धन के रूप मे नही आंकी जा सकती है प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष मे है कि प्रति स 03 को लेण्ड हाल्डर होने के कारण पक्षकार के रूप मे संयोजित किया गया है उनसे सीधे रूप से कोई अनुतोष नही चाहा गया है। कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायलय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का जो उचित न्याय शुल्क पर पेश है लिहाजा वाद वादी पेश कर अर्ज है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावे– कि इस आश्य कि घोषणा फरमाई जावे कि वादी को वाद पत्र की चरण स 4 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी के अनुसार वादी का खाता अलग किया जा कर वादी के पिता प्रतिवादी स 1 लालचन्द का हिस्सा कम किया जाकर वादी का नाम अंकित किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 3 तहसीलदार राजस्व संगरिया का जबाव पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में हुए राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मुताबिक राजीनामा वादी को वाद पत्र की चरण स 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता अलग कायम किया जावे। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का आराजी को लेकर आपस में राजीनामा हो जाने तथा वाद में कोई विरोधाभास नहीं होने कारण वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने मुताबिक राजीनाम डिक्री किये जाने हेतु सहमती जताई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 आराजी के सह–काश्तकार है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने हाजिर आकर वादग्रस्त आराजी बाबत अपना राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी उक्त राजीनामा के आधार पर मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि:– कि मुताबिक राजीनामा वादी को वाद पत्र की चरण स 4 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी के अनुसार वादी का खाता अलग किया जा कर वादी के पिता प्रतिवादी स 1 लालचन्द का हिस्सा कम किया जाकर वादी का नाम अंकित किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 7/2/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 276/2023
वाद पत्र अं.धारा :– 88/53 आरटीए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संजय पुत्र लालचन्द जाति बैरागी निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ —वादी

बनाम्

1. लालचन्द पुत्र लेखराम जाति बैरागी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. प्रिया पुत्री लालचन्द जाति बैरागी निवासी नगराना तह संगरिया जिला हनुमानगढ
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ राज

—प्रतिवादीगण

दिनांक :–07/07/2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिय के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुनील टांडी वकील वादी व श्री प्रदीप जाखड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 2 एव तहसीलदार राजस्व संगरिया मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि मुताबिक राजीनामा वादी को वाद पत्र की चरण स 4 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी के अनुसार वादी का खाता अलग किया जा कर वादी के पिता प्रतिवादी स 1 लालचन्द का हिस्सा कम किया जाकर वादी का नाम अंकित किया जाता है। वाद पत्र की चरण स 4 निम्नानुसार है

वादी संजय के हक व हिस्सा मे कृषि भूमि

चक न 1 एल.एल.डब्ल्यू खाता स 61/51

प.न	मु.न	कि.न
164/210	4	8/2/0.127है ,9/1/0.127है
		12/1/0.126है ,13/0.253है
164/211	8	20/1/0.103है ,20/5/0.012है गे.मु.खा
		21/1/0.228है, 21/2/0.025है गे.मु.खा
		22/0.165है
164/212	29	1/1/0.152है ,2/2/0.013है
		कुल–1.331है मेय गें.मु

राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

नोट :– रकबा रहनमुक्त होने के पश्चात् डिक्री के अनुसार वादी के पक्ष मे नियमानुसार अमल दरामद होगा।

निज...X...नल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल...X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक ...X...अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 07/07/2023 जारी किया गया।

7/7/23

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया